*सतर्कता प्रशासन : सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को प्रोत्साहित करना**

के. सी. चक्रवर्ती

श्री ए.के. हाण्डा, अध्यक्ष, सतर्कता प्रशासन से संबंधित निष्ठा, अभिशासन और प्रशिक्षण केंद्र (सिगवा); एस. के. गोयल, भूतपूर्व अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूको बैंक; श्री आर.वी. वर्मा, अध्यक्ष, राष्ट्रीय आवास बैंक; सिगवा के अन्य अधिकारीगण, सतर्कता प्रशासन के इस सेमिनार के प्रतिनिधिगण, देवियो और सज्जनो ! सबसे पहले, में सिगवा और श्री हण्डा, को एक संस्थागत फोरम का निर्माण करने के लिए बधाई देता हूँ। अभिशासन प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाना इस फोरम की अपेक्षा है जिसका निहित उद्देश्य संपूर्ण समाज के फायदे के लिए लोकसेवा सुविधा में गुणात्मक सुधार लाना है। वस्तुतः सिगवा द्वारा नई क्षमताएं पैदा करने तथा सतर्कता प्रशासन का कार्य कर रहे कार्मिकों की क्षमता स्तर को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन सराहनीय है ताकि सभी सार्वजनिक संस्थाओं में सदाचार का मानक प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। ऐसे सेमिनारों में विचारों और व्याख्यानों के आदान-प्रदान से हमारा ज्ञान कई गुना बढ़ता है और हमें उन मुद्दों से अवगत कराता है जो हमारी पूरी व्यवस्था को दुखी करते हैं।

प्रस्तावना

2. हमारे दैनिक जीवन में सतर्कता के महत्व को जॉन फिलपॉट क्यूरन, आइरिश वक्ता, राजनीतिज्ञ, वकील और न्यायाधीश के उद्धरण में प्रकट किया गया है, वे लिखते हैं कि ''ईश्वर ने जिन शर्तों पर मनुष्य को आज़ादी दी है वह है शाश्वत सतर्कता।'' अमरीकन लेखक और उपन्यासकार पर्ल एस. बक ने दैनिक जीवन में सतर्कता के महत्त्व को और अधिक रेखांकित करते हुए लिखा है कि ''जब किसी राष्ट्र में अच्छे लोग सतर्कता और संघर्ष त्याग देते हैं तो बुरे लोगों का आधिपत्य हो जाता है।'' वर्षों पहले की गई यह टिप्पणियां आज भी सच हैं, जिनका अर्थ है कि एक व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए ताकि उसे उसका परिवार को अथवा पूरे समाज को कोई नुकसान न पहुंचे। अतः, सतर्कता के बारे में जानकारी एवं इसके विविध आयामों को जानना आज सार्वजनिक जीवन में अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गया है।

3. शब्दकोश में सतर्कता को इस प्रकार से परिभाषित किया गया है - सावधान और सतर्क रहना ताकि खतरों का पता चल सके, सदैव जागरूक और सावधान रहना। जहां सतर्क रहना जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण है, वहीं वित्तीय क्षेत्र में खासतौर से बैंक जैसी संस्थाओं में जहां जनसामान्य के रुपए-पैसों का लेनदेन होता है, में सतर्कता का पालन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है। आज के अपने संबोधन में मैं बैंकिंग क्षेत्र के हवाले से आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा वे ऐसे मूलभूत मुद्दे हैं जिन्हें मैं उठाना चाहता हूं उनका संबंध सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों से है, हालांकि सतर्कता का मुद्दा निजी क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है, किंतु वहां अपराधी को शीघ्रता से एवं थोड़ी सी सज़ा दिए जाने के कारण इन मुद्दों की मात्रा प्रत्यक्ष रूप से उतनी अधिक नहीं है।

4. बैंक जमाकर्ता और उधारदाता के बीच मध्यस्थता का कार्य करते हैं, उनका कर्तव्य है कि वे सुरक्षा के सर्वोच्च मानकों का पालन करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जमाकर्ताओं से प्राप्त होने वाले धन का दुरुपयोग नहीं हो रहा है बल्कि उनका लाभकारी उपयोग हो रहा है और वह धन मांग किए जाने पर उनके पास उपलब्ध हो। ऐसा सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को न केवल उधारकर्ताओं के प्रति सावधानी बरतनी होगी बल्कि उपयुक्त सुरक्षात्मक उपाय करने होंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्टाफ द्वारा किए गए लेनदेन निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार हो रहे हैं। सतर्कता प्रणाली द्वारा लागू निगरानी से यह सुनिश्चित करना अपेक्षित है कि जनता का धन जिसे बैंक एक न्यास के रूप में रखते हैं, उसका अपराधियों द्वारा किसी भी तरह से दुरुपयोग न किया जाए। स्पष्टतया, सतर्कता प्रणाली का यही तर्क अन्य सरकारी क्षेत्र के उद्यमों अथवा सरकार के उद्यमों पर लागू होते हैं क्योंकि ये संस्थाएं भी सार्वजनिक निधि की अभिरक्षक हैं। अर्थात् अच्छे अभिशासन के लिए प्रभावी सतर्कता एक अनिवार्य शर्त है।

---

* सिगवा द्वारा 11 नवंबर, 2013 को आयोजित सेमिनार में डॉ. के.सी. चक्रवर्ती, उपगर्वनर, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ''सतर्कता प्रशासन : सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी को प्रोत्साहित करना'' विषय पर दिए गए व्याख्यान का मुख्य अंश। श्रीमती एन. मोहना तथा श्री. आर. के. शर्मा से प्राप्त सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया गया है।

बैंकों में सतर्कता कार्य-प्रणाली

5. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी मुद्दों पर विचार करने के लिए एक समर्पित निकाय गठित करने की आवश्यकता 1960 के दशक के प्रारंभ में ही महसूस की गई थी जब भारत सरकार ने भ्रष्टाचार उन्मूलन से संबंधित एक समिति गठित की थी [समिति को शांतनम समिति के नाम से जाना जाता है] जिसकी सिफारिश पर फरवरी 1964 में शीर्ष संस्था के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की गई। इसकी सतर्कता इकाइयों के प्रमुख मुख्य सतर्कता अधिकारी थे। केंद्रीय सतर्कता आयोग अध्यादेश, 1998 के माध्यम से इस आयोग को 25 अगस्त 1998 से सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया और उक्त अध्यादेश के स्थान पर केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 लाया गया।

6. सरकारी क्षेत्र के बैंक, अपने निगमीकरण और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था के रूप में परिचालन करने के आधार पर केंद्रीय सतर्कता आयोग के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इसके अलावा, भारतीय रिज़र्व बैंक ने भी मई 2011 में दिशानिर्देश जारी करते हुए सभी निजी क्षेत्र के बैंकों सूचित किया था कि वे अपने संगठन के भीतर उपयुक्त सतर्कता ढांचे का निर्माण करें जो सतर्कता की दृष्टि से किसी भी प्रकार के नियम भंग करने के समस्त मामलों की संवीक्षा करे। इस तंत्र का मकसद यह था कि अंधाधुंध निर्णय के कारण बैंक को होनेवाली धन और प्रतिष्ठा की हानि को पहचाना जा सके और अपराधी कर्मचारियों के विरुद्ध तत्परता एवं प्रभावी रूप से कार्रवाई की जा सके। एक विश्वसनीय और उत्तरदायी सतर्कता प्रणाली की मौजूदगी अनुचित आचरण के प्रति प्रभावी अवरोध के रूप में कार्य करती है।

7. सतर्कता नियंत्रण के बारे में दिशानिर्देश केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। संबंधित संगठनों में मुख्य सतर्कता अधिकारियों को प्राधिकृत किया गया है कि वे शिकायत के पंजीकरण के समय प्रत्येक मामले में यह तय करें कि उसमें सतर्कता संबंधी मामला कितना है और उस मामले के समाप्त होने तक उसी रूप में देखा जाएगा, भले ही जांच-पड़ताल के नतीजे कुछ भी हों। हालांकि, इसकी कोई स्पष्ट परिभाषा देना असंभव है, किंतु सामान्य रूप से ऐसे मामले जिनमें सतर्कता पहलू होता है, वे इस प्रकार हैं:

- आपराधिक मामले आरोपित होना जैसे- गैर-कानूनी तरीके से घूस की मांग करना व स्वीकार करना, असमान अनुपात में परिसंपत्तियां रखना, जालसाज़ी, धोखेबाज़ी, स्वयं अथवा किसी अन्य व्यक्ति के धन-संबंधी फायदे के लिए अधिकारिक हैसियत का दुरुपयोग करना।
- ऐसी अनियमितताएं जो सरकारी कर्मचारी होने की प्रतिष्ठा पर प्रतिकूल प्रभाव डालें।
- घोर चूक अथवा जानबूझकर लापरवाही, अंधाधुंध निर्णय, सक्षम अधिकारी को रिपोर्ट न करना, बिना शक्ति के /शक्ति से अधिक/अधिकारक्षेत्र के बना/अधिकार क्षेत्र के बाहर तक विवेक का इस्तेमाल करना, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह/किसी पार्टी या पार्टियों को अनुचित हानि या सहगामी लाभ तथा प्रणाली एवं प्रक्रिया का घोर उल्लंघन।

मैं यहां पर यह भी जोड़ना चाहूंगा कि न केवल लेनदेन के वित्तीय स्वामित्व का बल्कि साथ ही कतिपय गैर-वित्तीय पहलुओं की जांच भी सतर्कता की दृष्टि से की जानी जरूरी है। मैं इस मुद्दे पर थोड़ी देर बाद बात करूंगा।

8. अन्य समस्त संगठनों की तरह वित्तीय संस्थाओं की सतर्कता संबंधी गतिविधि प्रबंधकीय कार्य का अभिन्न हिस्सा है। किसी भी संस्था में सतर्कता कार्य, निर्णय-प्रक्रिया में बाधक नहीं होना चाहिए। इसे आंतरिक लिटमस जांच के रूप में देखा जाना चाहिए जो संस्था में लिए गए वास्तविक निर्णय की पहचान के लिए हो भले ही लिए गए निर्णय से संस्था को हानि हुई हो या नहीं। ऐसा नहीं है कि ऐसे सभी निर्णय जिनसे बैंकों को हानि हुई हो उन्हें अप्रत्यक्ष प्रयोजन से लिए गए निर्णय माना जाए, बल्कि बैंकों को लिए गए प्रत्येक निर्णय के गुण-दोष देखने चाहिए ताकि अप्रत्यक्ष प्रयोजन से और निर्धारित प्रक्रिया का स्पष्ट अनुपालन किए बिना लिए गए निर्णय की पहचान की जा सके, उन्हें अलग-अलग किया जा सके तथा उनपर सख्ती से कार्रवाई की जा सके। बैंकों में अभिकल्पित सतर्कता ढांचे की भूमिका यह है कि वह जोखिम उठाने जो बैंकों का उद्देश्य ही है तथा जनता की जमाराशियों को एक न्यासी के रूप में रखने के प्रति उत्तरदायी होने की भूमिका के बीच बढ़िया तालमेल बनाए रखे।

9. पिछले कुछ समय से बैंकिंग प्रणाली में धोखाधड़ी की घटनाएं तथा एनपीए के स्तर बढ़ते जा रहे हैं। मैं इन खास मुद्दों पर थोड़ा बाद में बात करूंगा, किंतु अभी मैं इस बात पर

ज़ोर देना चाहूंगा कि कुछ प्रतिकूल घटनाएं जैसे बैंकिंग क्षेत्र में बढ़ती धोखधड़ी बढ़ते एनपीए की घटनाएं और इसी प्रकार के प्रतिकूल परिणाम जैसे - अन्य सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं में राष्ट्रीय संसाधनों का गलत मूल्य-निर्धारण और सरकारी विभागों ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, जहां सतर्कता कार्यप्रणाली अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है जिससे अच्छे अभिशासन मानक तथा जनता के धनवाली परियोजनाओं के कार्यान्वयन में ईमानदारी सुनिश्चित की जा सके। इस प्रकार के प्रतिकूल परिणामों का पहला कारण यह है कि इस तरफ की अनेक परियोजनाएं मुख्यतया कर्ज लेकर चलाई जा रही हैं (जो भी इक्विटी लाई जा रही है वह विशेषतया कर्ज अथवा अर्ध-कज के रूप में जुटाया गया धन है) इसलिए इन परियोजनाओं में प्रमुख स्टेक होल्डर जैसे - उधारकर्ताओं, उधारदाताओं तथा प्रशासकों का इसमें परियोजना की असफलता से वस्तुतः कोई निम्नगामी जोखिम नहीं है, बल्कि इससे काफी लाभ मिलता है। इसमें ऐसे स्टेकहोल्डर हैं जिन्हें निम्नगामी जोखिम होता है वे हैं राजनीतिज्ञ, इसका प्राथमिक कारण है निर्वाचन संबंधी राजनीति की बाध्यता तथा मीडिया की तीखी नज़र, हालांकि यह अल्पकालिक ही होती है। वास्तव में, शीर्षस्तर पर निर्णय लेने वालों का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है और अधिकांश मामलों में जनता के हितों की बलि चढ़ा दी जाती है। ऐसे वातावरण में, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सतर्कता प्रशासन अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है तथा यह कार्य अत्यधिक सावधानी एवं स्पष्टता से किया जाना चाहिए।

सतर्कता-प्रशासन के तीन पहलू

10. सतर्कता कार्यों के तीन पहलू हैं : निषेधात्मक, दंडात्मक और सहभागितापूर्ण (चौकसी और पता लगाना)। सामान्य रूप से, बैंकों को चाहिए कि वे अपने कार्मचारियों में ईमानदारी और निष्ठा की भावना पैदा करके तथा अंतरिक रूप से प्रणाली एवं नियंत्रण स्थापित करके निषेधात्मक सतर्कता कार्यों को सुदृढ़ बनाएं, जो कदाशयता की गतिविधि के विरुद्ध कार्य करेगा। निषेधात्मक सतर्कता इन उल्लिखित तीनों सतर्कता पहलुओं में से सबसे अधिक चुनौतीपूर्ण है। यह इसलिए महत्त्वपूर्ण है कि इसमें चूक को घटित होने से रोकने की क्षमता है और यह भ्रष्टता को प्रारंभिक चरण में ही उखाड़ देता है। किंतु यह चुनौतीपूर्ण इसलिए, है क्योंकि संगठन में सभी स्तरों पर इसका सतत प्रयोग होना चाहिए तथा प्रबंधन को इसपर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए। इसके अंतर्गत कार्यकारियों की गतिविधियों के स्वरूप और जीवन-शैली बारीकी से निगरानी रखनी होती है। ऐसे कर्मचारी जो तड़क-भड़क की जीवन शैली जीते हैं जिनके लिए उन्होंने यह नहीं बताया है कि वे ऐसी जीवन-शैली के लिए साधन कहां से जुटाते हैं, जो शायद ही कभी छुट्टी लेते हैं, जो अपने सहकर्मियों के साथ कार्य की बरीकियों को नहीं बांटते, जो अन्य लोगों को सौंपे गए कार्यों में दिलचस्पी रखते हैं, जो संस्था के साथ कारबार कर रहे वेंडरों की सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, जो सदा कर्जदार रहते हैं, आदि-आदि इन पर सतर्कता की दृष्टि से बारीकी से निगरानी रखना जरूरी है।

11. इसके साथ सतर्कता कार्यों को मिलकर मज़बूत बनाना हो या जिसके लिए वर्तमान प्रणाली और नियंत्रण की समीक्षा करना, कमियों का पता करना तथा उनपर पर्याप्त रूप से सावधानी निशान लगाना ताकि कदाशयता की संभावना को कम किया जा सके और उल्लंघन का तेज़ी से पता लग सके। संस्थाएं जो कर्मचारियों को 'चार-आंख-सिद्धांत' का पालन किए बिना स्वतंत्र निर्णय लेने की अनुमति देती है; संवीक्षा के बिना अत्यधिक शक्तियां प्रदान करती हैं; कर्मचारी को अबाधित वित्तीय शक्ति देती है; कर्मचारियों को संविदा की शर्तों को मूल स्वीकृतिकर्ता अधिकारी आदि को शामिल किए बिना संशोधित करने के लिए अनुमति देती हैं; की समीक्षा और उचित जांच की आवश्यकता है तथा एक संतुलन बनाए रखने की जरूरत होगी ताकि व्यक्ति कर्मचारी द्वारा अपने व्यक्तिगत हित के लिए शक्तियों के दुरुपयोग को टाला जा सके। जब सावधानी किसी संगठन की संस्कृति का हिस्सा बन जाती है तब वह किसी भी संगठन की चौकसी में सुधार तथा सतर्कता कार्यों का पता लगाने का कार्य करने लगती है।

12. किसी भी संस्था के निषेधात्मक सतर्कता कार्यों को सुदृढ़ बनाने के लिए सभी हितधारकों की सहभागिता ज़रूरी है, चाहे वे संस्था में किसी भी हैसियत में हों और वे महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। उदाहरणार्थ, यदि कोई शाखा प्रबंधक स्वयं या घनिष्ठ मित्र आर्थिक फायदे के लिए कार्यालय समय के बाद किसी ग्राहक का काम करते हैं, तो इस मामले में शाखा प्रबंधक की इस प्रकार की गतिविधियों की जानकारी हासिल करने का सबसे अच्छा स्रोत उनके अधीनस्थ स्टाफ हैं जो उस समयावधि में कार्यालय में उपस्थित होते हैं। इसी प्रकार से अधिकारी जो बाहरी वेंडरों के साथ आपराधिक गतिविधियां करते हैं उनके

बारे में जानकारी बाज़ार आसूचना के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

13. सतर्कता पहलुओं पर कार्य कर रहे स्टाफ को संवेदी बनाने हेतु समय-समय पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए ताकि वे इस आवश्यकता से परिचित हों कि बाहरी वेंडरों से संव्यवहार करते समय किस प्रकार से सावधान रहना है और उन्हें उन दंड संबंधी प्रावधानों से अवगत कराना, जिसमें कर्मचारी की ऐसे अल्पाधिक कार्यों में लिप्तता पर दंड दिया जा सकता है, यह एक अत्यधिक एकजुट सकर्तकता का प्रभावी उपकरण है, क्योंकि इससे कर्मचारियों के मन में जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है और संगठन के हितों की लागत पर स्वसमृद्धि की गतिविधियों में लग रहने वालों के विरुद्ध चेतावनी का कार्य करती है।

14. पर्दाफाश करने की संकल्पना भी निषेधात्मक सतर्कता का एक अन्य कारगर उपकरण है जो कर्मचारियों को इस प्रकार की गतिविधियों से रोकती है। पर्दाफाश करने वाला व्यक्ति आमतौर पर भीतर का व्यक्ति होता है जिसे अपने साथी कामगार या उच्च अधिकारियों की आपराधिक गतिविधियों की काफी हद तक जानकारी होती है जो जरूरत पड़ने पर अपराधी कर्मचारियों के विरुद्ध निश्चित सबूत उपलब्ध करा सकता है। प्रबंधन को चाहिए कि वह अपने संगठन में पर्दाफाश करने जैसी संस्कृति को समर्थन दे तांकि आंतरकि स्रोत से जानकारी प्राप्त करने का चैनल मज़बूत हो और वह सतर्कता कार्यों का प्रभावी हाथ बने।

15. पर्दाफाश करने की संकल्पना के संबंध में, शायद चर्चिल की कही हुई बात को उद्धृत करना उपयुक्त होगा, उन्होंने कहा था - ''साहस, डटकर खड़े रहना और अपनी बात कहने का नाम है, शांतिपूर्वक बैठने और सुनने का नाम भी साहस है'' यहां जो लोग उपस्थित हैं और संबंधित संगठनों में यदि सतर्कता कार्य देख रहे हैं तो मेरा उनसे आग्रह है कि वे चर्चिल के शब्दों को याद रखें तथा कर्मचारियों को इस बात के लिए प्रेरित करें कि वे ऐसी गतिविधियों के बारे में खुलकर बोलें जो संगठन के हित में नहीं हैं। संगठन में निर्णय लेने वाले भी ऐसे व्यक्तियों को सुनने का साहस दिखाएं जो महत्त्वपूर्ण बात बता रहा हो किंतु जो सुनने में अप्रिय सत्य हो।

16. दंडात्मक सतर्कता अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है और किसी भी संगठन में सबसे भयावह होता है। प्रबंधन इसका उपयोग अपने कार्यबल में जिम्मेदारी और जवाबदेही की भावना पैदा करने के लिए कर सकता है। इस उपकरण के प्रभावी प्रयोग के लिए प्रबंधन को चाहिए कि वह जांच की प्रक्रिया बिना किसी पूर्वाग्रह के शीघ्र पूरी करे और दंड लगाए जो किए गए अपराध की गहनता तथा संगठन को हुई हानि के अनुरूप हो। इसके लिए संगठन और जांच एजेंसियों जैसे पुलिस /सीबीआई/सीबीसी के बीच गहरा समन्वय होना चाहिए। यह सावधानी बरती जाए कि कारोबार के बारे में लिए गए वास्तविक निर्णय को अलग रखा जाए तथा ऐसे निर्णयों को अलग स्थान दिया जाए जिसमें लेनदेन से अनुचित व्यक्तिगत लाभ उठाने का अप्रत्यक्ष रूप से इरादा हो। यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि निर्णय लेने की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

बैंकिंग क्षेत्र में सतर्कता प्रशासन में हुई प्रगति : रिज़र्व बैंक का अनुभव

17. बैंकिंग उद्योग द्वारा सतर्कता कार्यों के इन तीनों पहलुओं को लागू करने का अनुभव बहुत अधिक विश्वास नहीं पैदा करता है। हमने यह पाया है कि निषेधात्मक सतर्कता को अपेक्षित महत्व नहीं दिया जाता जबकि चौकसी तथा पता लगाने जैसे सतर्कता कार्य तो लगभग नदारद हैं। सतर्कता दंडात्मक पहलू को भी अपेक्षित उद्देश्य एवं तत्परता से कार्यान्वित नहीं किया जाता है।

18. बैंकों में ऋण संबंधी निर्णयों में अनुचित और भ्रष्ट तरीकों में लिप्त होने की भारी गुंजाइश होती है, किंतु वहीं पर यह भी स्थापित करना कठिन होता है कि अधिकारी ने इस प्रकार के अनुचित कार्य किए हैं। सतर्कता कार्यों की असफलता इस बात से भी प्रकट होती है कि खास तौर से सरकारी क्षेत्र के बैंकों में उच्च मूल्य के अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है (अनुबंध. 1)। इस संदर्भ में, मैं यह कहना चाहूंगा कि धोखाधड़ी की परिभाषा में विषमता है और इस बात की आवश्यकता है कि सामान्य समय में लिए गए कारोबारी जोखिम के क्रिस्टल और धोखाधड़ी के बीच स्पष्ट अंतर को बताया जाना चाहिए। मेरा मत यह है कि जब तक कि उधारकर्ता अपनी देयताओं के बारे में विवाद न करे या दिया गया अग्रिम किसी परिसंपत्ति बनाने के लिए इस्तेमाल न किया गया हो या इसका उपयोग उस प्रयोजन के लिए नहीं किया

गया जिसके लिए उसकी स्वीकृति दी गई और उसका संवितरण किया गया अथवा उधारकर्ता द्वारा निधि का सफाया न कर दिया गया हो, तब तक दिए गए अग्रिम को धोखाधड़ी के अंतर्गत नहीं माना जा सकता। किंतु, परिभाषागत बातों को यदि छोड़ दें तो हम यह पाते हैं कि स्वीकृति देने वाले अधिकारियों की यह आदत होती है कि वे ऋण मूल्यांकन की असफलता को उधारकर्ता द्वारा की गई धोखाधड़ी का नाम दे देते हैं। मुझे यकीन नहीं होता कि जिस उधारकर्ता का बैंक के साथ कुछ वर्षों से अच्छा संबंध था, वह अचानक धोखधड़ी करने वाला कैसे बन गया। इस परिस्थितियों में मेरा अनुमान यह है कि ऐसे मामलों में प्रायः यह ऋण - मूल्यांकन तथा ऋण संवितरण के बाद पर्यवेक्षण प्रक्रिया की असफलता है जिसका परिणाम यह होता है कि खाता अनर्जक होने लगता है या फिर उसे धोखाधड़ीग्रस्त के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है। सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कार्यों की यह स्थिति यह प्रदर्शित करती है कि बैंकों में सतर्कता प्रशासकों द्वारा चौकसी आमतौर पर ढीली पड़ती जा रही है।

19. बड़ी रकम की धोखाधड़ी (50 करोड़ से अधिक की राशि) के बारे में हमारे विश्लेषण से बड़े दिलचस्प नतीजे बरामद हुए हैं जैसे-खातों को धोखाधड़ीग्रस्त खाता घोषित करने में अनावश्यक विलंब करना (अनुबंध 2), जांच में बहुत से अधिकारियों को कवर करना, धोखाधड़ी के लिए कनिष्ठ अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया आदि। हमने संघीय व्यवस्था में भी धोखाधड़ी पायी है, जबकि कुछ बैंक इसे स्टाफ की जवाबदेही नहीं मानते, वहीं कई अन्य बैंक इसके विपरीत मानते हैं (अनुबंध 3)। हमारे विश्लेषण में यह भी पता चला है कि बैंकों में एक समयावधि के भीतर बड़ी रकम की धोखाधड़ी के 230 खातों में जवाबदेह पाए गए 719 अधिकारियों में से 426 अधिकारी वरिष्ठ प्रबंधक स्तर के, 196 अधिकारी मुख्य प्रबंधक और सहायक महाप्रबंधक स्तर के थे। 94 अधिकारी, उप-महाप्रबंधक, महाप्रबंधक तथा मुख्य महाप्रबंधक स्तर के और केवल 3 अधिकारी शीर्ष प्रबंधन एवं निदेशक मंडल से थे। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि हमारी दंडात्मक सतर्कता प्रक्रिया कितनी विषम है और इसकी प्रवृत्ति निचले स्तर पर कार्य करने वालों पर निशाना साधने की होती है। सतर्कता कार्यों के प्रभाव को काफी हद तक समाप्त कर देने वाला एक और कारक दिए गए दंड की सीमा और अपराध के बीच तालमेल न होना है। हमने यह पाया है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में अधिकांश अधिकारी जो दंड के भागी पाए गए उन्हें मामूली सी दंडात्मक सावधानी बरतने, - चेतावनी, सेंसर, सीमित अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोक देना आदि दंड देकर छोड़ दिया गया जिससे एक गलत संदेश जाता है - जो कदाचार के प्रति सक्रिय के बजाय निष्क्रिय सहनशीलता का संदेश देता है। प्रसंगवश, भारत में कार्य कर रहे निजी और विदेशी बैंकों ने ऐसे ही अपराध के लिए सेवा से निष्कासन के साथ-साथ जितने कठोर दंड लगाए हैं उससे पता चलता है कि अपराध के प्रति उनका दृष्टिकोण यह है कि किसी भी प्रकार का कदाचार सहन नहीं किया जाएगा।

20. बड़ी रकम के अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी के मामलों के बारे में हमारे विश्लेषण के आधार पर मैं नीचे कुछ ऐसे मुद्दों केा रेखांकित कर रहा हूँ जिसके बारे में बैंकों के सतर्कता प्रशासन को बारीकी से संवीक्षा करनी होगी :

i. जांच कार्यवाही में बहुत से लोगों को खींचने से न केवल जांच में विलंब होता है बल्कि अपराधी की वास्तविक पहचान को क्षीण बना देती है।

ii. निचले पायदान के अधिकारियों को धोखाधड़ी के लिए जवाबदेह बना देना हालांकि अग्रिमों की स्वीकृति वरिष्ठ कार्यपालकों / बोर्ड द्वारा दी जाती है।

iii. यदि निगरानी / कार्यान्वयन स्तर पर अनियमितता पाई जाती है तो ही कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को जवाबदेही के लिए जांच की परिधि में लाना चाहिए।

iv. सभी सदस्य बैंकों में जवाबदेही निर्धारित करना, यहां तक कि संघीय समूह / बहुबैंकिंग व्यवस्था के मामले में सदस्य बैंकों में यह प्रवृत्ति आम है कि वे स्वयं को सभी प्रकार की जिम्मेदारियों से मुक्त कर लेते हैं और गलत ऋण मूल्यांकन / संवितरण के बाद की निगरानी में कमी के लिए अग्रणी बैंक पर पूरी तरह से आरोप लगा देता है।

21. अतः, लबो-लुबाब यह है कि किस गति से धोखाधड़ी पता लगा ली जाती है, जांच-कार्यवाही पूरी कर ली जाती है, स्टाफ की जवाबदेही तय कर दी जाती है और उसके रोकथाम की कार्रवाई कर ली जाती है। जहां तक बैंकों में धोखाधड़ी का विषय हैं, इस संबंध में मैं एक अन्य बड़ा मुद्दा उठाना चाहता हूँ। सतर्कता अधिकारी के रूप में आपका ज्यादातर ध्यान आंतरिक स्टाफ पर होता है, किंतु धोखेबाज़ उधारकर्ताओं के बारे में क्या किया जाता है। यह बात कौन सुनिश्चित करता है कि उन्हें उपयुक्त सज़ा दी जाती है। मैं यह समझता हूँ कि इस बात की

तत्काल सख्त ज़रूरत है कि धाखोधड़ी करने वाले अपराधियों को दंड देने के लिए पूरी प्रणाली को हाथ से हाथ मिलाकर कार्य करना होगा और ऐसे अपराधियों को यहां तक कि बैंकिंग सुविधाएं देने से सीधे-सीधे मना करना होगा। इसी प्रकार, इस बात की भी आवश्यकता है कि पेशेवर जैसे-सनदी लेखाकार, वकील, मूल्यांकनकर्ता जो धोखाधड़ी के कार्यों में सहायक बनते हैं या उसे प्रेरित करते हैं उनके विरुद्ध कठोर और निवारक कार्रवाई की जाए तथा उन्हें आगे की अवधि में किराये में रखने से वंचित कर दिया जाए।

सतर्कता प्रशासन वित्तेतर पहलू

22. अब मैं सतर्कता प्रशासन के वित्तेतर पहलू की जांच के मुद्दे पर वापस लौटता हूँ। हमें ऐसे कई उदाहरण देखने को मिलते हैं कि अधिकारियों के नज़दीकी रिश्तेदार कमर्शियल संस्थाओं के लिए काम करते हैं जिनका ये अधिकारी पर्यवेक्षण भी करते हैं। आप में से कुछ लोग जानते होंगे कि अमरीका में इस बात के लिए अत्यधिक रोष था और देश में कारोबार लाने के लिए चीन के 'राजसी बच्चों' (प्रिंसलिंग्स) (शासित कम्युनिस्ट पार्टी नेताओं के सुविधाप्राप्त बच्चे) को किराये पर लेने के बारे में सेक्यूरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा जे.पी. मॉर्गन की जांच की गई। क्या हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि ये जो भर्ती हो रही है उनमें से कितने मेरिट के आधार पर हैं और कितनों को यूं ही रख लिया गया है? देर या सबेर, हमारे समाज में इस मुद्दे पर बहस उठने वाली है। इसलिए, हम समस्याओं को अभी से जान लें इससे पहले कि यह बहुत बड़ा विवाद बनकर फैल जाए। इसके अलावा, नौकरशाह, विनियामक, पर्यवेक्षक उनकी सेवानिवृत्ति के तुरंत बाद उन्हीं संस्थाओं में नियुक्तियां ले लेते हैं जहां उन्होंने विनियामक/पर्यवेक्षीय कार्य किया है। यह अंतर्निहित खतरनाक परंपरा है जिसे उपयुक्त नीति बनाकर समाप्त किया जाना चाहिए।

23. इसी प्रकार एक मुद्दा यह भी है कि कुछ 'खास' ग्राहकों को उनके समग्र कारोबारी संबंध को ध्यान में रखते हुए उनके मूल्य का निर्धारण रियायती दर पर किया जाता है। मूल्य का निर्धारण अनिवार्य रूप से इसलिए किया जाता है कि उसमें निहित जोखिम और प्रशासनिक लागतों को कवर किया जा सके। मुझे नहीं मालूम कि कारोबारी संबंध किस प्रकार से उधार देने वाले लेनदेन में निहित जोखिमों और प्रशासनिक लागतों को कम कर देता है। ऐसे लेनदेन में स्वविवेक के तत्व को हटाने के लिए आवश्यक है कि संबंधित बोर्ड/मंत्रालय/विभाग, उत्पादों एवं सेवाओं या राष्ट्रीय संसाधनों के मूल्य-निर्धारण के लिए पुखता नीतियां/नियम निर्धारित करें। संस्थाओं के सतर्कता तंत्र से मैं आग्रह करूंगा कि वे इन पहलुओं पर कड़ाई से ध्यान दें।

24. मेरे विचार से, सरकारी संस्थाओं में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा स्रोत स्वीकृति प्राधिकार से अधिक खर्च करना है। वस्तुतः सभी संस्थाओं में अनावश्यक एवं अनैतिक खर्चों के लिए कोई जवाबदेही नहीं है। ये खर्चे प्रायः विधिक/लेखापरीक्षा या विनियामक खर्चों के रूप में छुपे होते हैं। ये समस्या ऊपर के स्तर पर विद्यमान है जहां इस प्रकार के खर्चों पर प्रश्न नहीं उठाया जाता है। क्या आप सतर्कता अधिकारी के रूप में इन खर्चों की जांच करना चाहेंगे? विकसित अर्थव्यवस्थाओं में यह व्यवस्था है कि राजनीतिक पार्टियों को दिए गए दान/नौकरशाही /विनियामकों/नीति-निर्माताओं आदि पर किए गए खर्चों को प्रकट किया जाए। मैं यहां बहस उठाना चाहता हूँ कि क्यों न इसी प्रकार के प्रकट करने के मानदंड तथा पारदर्शी परंपरा हमारे कार्पोरेट्स द्वारा अपनाई जाए। तब तक, इस प्रकार के खर्चों के लिए एक सुदृढ़ आंतरिक नियंत्रण ढांचे की जरूरत है जिसकी निगरानी अनिवार्य रूप से संगठन के सतर्कता तंत्र द्वारा की जाए।

25. मैं सतर्कता अधिकारियों के समुदाय से भी आग्रह करना चाहूंगा कि भ्रष्टाचार मामलों पर कार्रवाई करते समय बहुत परे न जाएं और सावधानी बरतें। हर किसी को बख्शीश और 'घूस' में अंतर करना आना चाहिए। संगठनों के लिए यह उपयुक्त होगा कि वे सदाचार संहिता तैयार करें जिसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख हो कि विभिन्न हिताधिकारियों के साथ काम करते समय उनसे क्या अपेक्षाएं हैं।

सतर्कता-कार्य के प्रभाव को बढ़ाना

26. यह हमें बहुत ही बुनियादी सवाल की ओर ले जाता है कि कर्मचारियों के मन में किसी प्रकार का डर पैदा किए बिना सतर्कता कार्य को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए। मेरे विचार से, संस्थाओं को चाहिए कि वे निषेधात्मक सतर्कता पहलू पर अधिक ध्यान दें ताकि समस्या का समाधान प्रारंभिक चरण में ही हो जाए। संगठनों को अपने कर्मचारियों में ईमानदारी और जिम्मेदारी की भावना पैदा करने का फायदा अवश्य मिलेगा। सतर्कता कार्य का स्वामित्व मात्र चंद ऐसे लोगों के पास न हो

जो सतर्कता विभाग में कार्य करते हैं, बल्कि यह संगठन में ऊपर से नीचे तक सभी स्थानों पर हो।

27. इस संदर्भ में, प्रसिद्ध कवि अलेक्जेंडर पोप को उद्धृत करना उचित होगा, जिन्होंने कहा था ''एक ईमानदार व्यक्ति ईश्वर की सर्वोत्तम रचना है। इसलिए मित्रो, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। ईमानदारी कोई संकल्पना या शब्द नहीं है। यह एक जीवन-शैली है। ईमानदारी से जीवन बनता है। बेईमान लोग कभी-कभार धनवान बन सकते हैं, किंतु अंत में ईमानदार व्यक्ति की ही जीत होती है। ईमानदारी के लिए किसी बहाने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी से मानसिक शांति प्राप्त होती है। यह आपके अंतःकरण को प्रदर्शित करता है। ईमानदार व्यक्ति को किसी सतर्कता की आवश्यकता नहीं होती है। इसकी जरूरत उन लागों को पड़ती है जो संगठन के भीतर द्रोही की भांति हैं। अतः, आइये हम शपथ लें कि हम जीवन में ईमानदार रहेंगे, न केवल लोक-सेवक के रूप में लोक-व्यवहार में बल्कि धरती पर एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसान के साथ भी ईमानदारी से रहेंगे। प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी मूल्यगत प्रणाली होनी चाहिए और उसे उसपर हर कीमत पर कायम रहना चाहिए''।

28. मेरे विचार में दूसरा मत यह है कि भीतरी या बाहरी व्यक्ति, दोनों के कदाचार के लिए एक स्पष्ट और पारदर्शी एवं घोषित असहनशीलता होनी चाहिए। जहां अभिनिर्धारित सतर्कता नीति आंतरिक अपेक्षाओं का समाधान कर सकती है, वहीं धोखाधड़ी कार्यों में लिप्त व्यक्तियों की सावधानी-सूची जारी करने की कार्रवाई, उद्योग के भीतर सूचनाओं का आदान-प्रदान, धोखाधड़ी रजिस्ट्री का निर्माण, क्रेडिट ब्यूरो की उपलब्धता एवं उसतक पहुंच से बाहरी प्रभावों के कारण सतर्कता के प्रति चुनौतियों को पहचानने एवं दूर करने में काफी हद तक सहायता मिलेगी।

29. तीसरी बात यह है कि आप स्वयं को इस बात से अद्यतन रखें कि इस उद्योग में क्या घटित हो रहा है। कई बार जो लोग सतर्कता विभाग में तैनात किए जाते हैं, वे समझते हैं कि उन्हं सतर्कता मैनुअल के अलावा उनके लिए सीखने हेतु कुछ और नहीं है। कुछ स्वयं को उपेक्षित महसूस करते हैं और यह समझते हैं कि संगठन की मुख्यधारा से बाहर हैं। मेरे विचार से, ऐसा सोचना तंगनज़री है। जिन लोगों को सतर्कता का काम सौंपा जाता है उन्हें उसी प्रकार अद्यतन रहना होता है जिस प्रकार से विपणन कार्य में लगे लोग अद्यतन होते है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सतर्कता कार्य में लगे लोगों को अन्य विभाग के अपने सहकर्मियों, जिन्हें केवल संबंधित विभागों के परिचालन क्षेत्रों की गतिविधियों से अद्यतन रहना होता है, की तुलना में समस्त कारोबार लाइन और ऊपर से नीचे तक की गतिविधियों से अद्यतन रहना पड़ता है। यदि आपको केवल यह ज्ञात हो कि आपके आस-पास क्या हो रहा है या प्रवृत्ति क्या है या फिर जिस उत्पाद को उतारा जाने वाला है उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो क्या आप पूरी तरह सतर्क रह पाएंगे और शीघ्रता से सुरक्षा के इंतजाम कर सकेंगे।

30. अंतिम बात, प्रबंधन और जांच एजेंसियों को इस बात के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होना चाहिए कि वे लिए गए वास्तविक निर्णयों तथा गलत इरादे से लिए गए निर्णयों से पैदा होने वाले नकारात्मक परिणामों के बीच अंतर कर सकें। तत्परता से जांच के लिए सतर्कता प्रणाली मौजूद होनी चाहिए और अपराधी पर निदर्शनात्मक दंड लगाकर बुक में दर्ज किया जाए जो अन्य लोगों के लिए रोधक का कार्य करेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि यह कार्य कठिन है, खासतौर से तब, जब प्रकट करने की अपेक्षा और अच्छे कंपनी अभिशासन मानक का पालन करने पर उसका विपरीत प्रचार किया जाएगा और लोगों द्वारा परिहार्य सवाल पूछे जाएंगे। किंतु, एक निष्पक्ष और निपुण सतर्कता कार्य संगठन के भीतर निष्ठा की संस्कृति की स्थापना कर सकती है और दुनिया की नज़रों में इसकी प्रतिष्ठा तथा स्थायित्व को बढ़ा सकता है।

समापन

31. सार्वजनिक सेवा प्रदान करने की क्षमता में सुधार तथा लोक-निधि का कुशलतम उपयोग, कुशल अभिशासन प्रक्रिया पर आश्रित है, जो जवाबदेही के प्रति उत्तरदायी शासन पर निर्भर है। अभिशासन प्रक्रिया तभी बेहतर हो सकती है जब संगठन की एक संस्कृति हो, जो अधिकारियों को सभी स्तरों पर बोर्ड से लेकर निचले स्तर तक प्रोत्साहित करे और सभी अपने कार्यों के प्रति जवाबदेह हों। यही वह संदर्भ हैं जहां सतर्कता अधिकारियों के काम पर रोक लग जाती है। मात्र दंडात्मक पहलुओं पर ध्यान देने के बजाय सतर्कता तंत्र को निषेधात्मक और सहभागिता पहलुओं पर कार्य करना चाहिए और ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देने में मदद करनी चाहिए जो ईमानदारी और निष्ठा को जन्म दे।

32. अपनी बात समाप्त करते हुए, सतर्कता प्रशासन के लोगों को मेरी सलाह है कि :

- सतर्कता कार्य के आशय को समझें - आपसे क्या अपेक्षा है?
- निर्णयों का मूल्यांकन दो प्रकार की जांच से करें - क्या वह संगठन के लिए सही था? क्या यह निर्णय सर्वसाधारण की भलाई की कीमत पर किया गया था?
- दिमाग खुला रखें और परीक्षण करते रहें - ऐसी चीजों से अवगत रहें जो संबंधित संगठनों के हितों तथा सुअभिशासन को प्रभावित कर सकती हैं।
- जब समस्त संगठन कारोबारी हितों को आगे बढ़ाने में लगा हो, उस समय यह सुनिश्चित करने पर ध्यान दें कि सदाचार और मूल्य कहीं खो न जाएं।

33. यदि आप अपने कर्तव्यों को निभाते समय उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखेंगे, तो मुझे यकीन है कि सतर्कता कार्य के उद्देश्य भलीभांति पूरे हो जाएंगे। मैं सिगवा और श्री हाण्डा को पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस सेमिनार में मुझे आमंत्रित किया और सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले सहभागियों के साथ संवाद करने का अवसर प्रदान किया। मैं यह देख रहा हूं कि सिगवा ने बहुत ही प्रभावी वक्ताओं को एकत्रित किया है जिन्हें अत्यधिक व्यावहारिक अनुभव है और इसलिए मुझे उम्मीद है कि आपके पास चर्चा के लिए दो बहुत ही दिलचस्प दिन होंगे। मुझे आशा है कि आजकी सुबह में मैंने जो कुछ मुद्दे उठाए हैं उन पर सेमिनार के दौरान बहस होगी तथा इन चर्चाओं से सार्वजनिक उद्यमों में अभिशासन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए कार्रवाई योग्य कुछ नये तरीके उभरकर सामने आएंगे। मैं आपके समस्त भावी प्रयासों की सफलता की कामना करता हूँ।

धन्यवाद!

अनुबंध 1

बड़े मूल्य की धोखाधड़ी मामलों का सुविधावार वितरण (50 करोड़ रुपए से अधिक)

क्र. सं.	सुविधा का प्रकार	धोखाधड़ी की संख्या	उधार खातों की संख्या	राशि	कुल खातों के प्रति प्रतिशत	लगी कुल राशि के प्रति प्रतिशत
1	जमा	3	3	604.35	1.30	3.86
2	अग्रिम	53	190	11681.73	82.61	74.51
3	तुलनपत्र से इतर - साखपत्र, गारंटी	5	23	2547.86	10.00	16.25
4	विदेशी मुद्रा लेनदेन	7	14	843.09	6.09	5.38
		68	**230**	**15677.03**	**100**	**100**

बड़े मूल्य की धोखाधड़ी मामलों का बैंक समूहवार वितरण (50 करोड़ रुपये से अधिक)

क्र. सं.	बैंक समूह	उधार खातों की संख्या	लगी कुल राशि	लगी कुल राशि का प्रतिशत
1	सरकारी क्षेत्र के बैंक	197	13766.24	87.81
2	निजी क्षेत्र के बैंक	26	1244.54	7.94
3	विदेशी बैंक	7	666.24	4.25
सभी बैंक		**230**	**15677.03**	**100**

अनुबंध 2

कितने समय में सुविधा धोखाधड़ी के रूप में परिवर्तित हो गई (बड़े मूल्य की धोखाधड़ी मामलों में लगी 50 करोड़ रुपए से अधिक की राशि)

क्र. सं.	खाते को धोखाधड़ी के रूप में बदल जाने में लगा समय	मामलों की सं.	लगी राशि	कुल के प्रति प्रतिशत
1	1 वर्ष के भीतर	14	1317.49	8.40
2	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	21	2488.68	15.87
3	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	14	1274.92	8.13
4	5 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष तक	93	3611.85	23.04
5	10 वर्ष से अधिक	88	6984.07	44.55
कुल		**230**	**15677.03**	**100.00**

अनुबंध 3

बृहत बहु बैंकिंग संघीय व्यवस्था के अंतर्गत धोखाधड़ी में स्टाफ की जवाबदेही

क्र. सं.	खाते का नाम	कुल बैंक	लगी राशि (करोड़ में)	करोड़ों रुपए लगी राशि जिसमें			कुल राशि की तुलना में स्टाफ जवाबदेही में लगी राशि का%	कुल संबद्ध अधिकारी	जवाबदेह उमप्र और उससे ऊपर के अधिकारी
				स्टाफ की जवाबदेही पाई गई	स्टाफ की जवाबदेही नहीं पाई गई	जिनमें स्टाफ की जवाबदेही के मामले की जांच चल रही है			
1.	A	25	2726.09	862.32 (8)	1362.54 (13)	501.24 (4)	31.63	49	15
2.	B	14	2456.20	508.51 (4)	1096.58 (7)	851.11 (3)	20.70	52	5
3.	C	11	386.09	317.45 (7)	6.38 (1)	55.36 (3)	82.22	57	4
4.	D	20	1003.28	612.63 (11)	206.40 (7)	184.25 (2)	61.06	55	8
5.	E	5	461.88	333.71 (3)	128.71	-	72.25	26	6
6.	F	12	107.58	8.10 (2)	99.48 (10)	-	7.53	4	0
7.	G	11	280.77	63.84 (4)	216.93 (7)	-	22.73	22	3
8.	H	6	192.66	165.54 (5)	27.12 (1)	-	85.92	20	3
9.	I	5	158.21	90.61 (2)	67.60 (3)	-	57.73	3	0
10	J	4	776.25	-	-	776.25	-	-	-
11	K	14	1262.29	-	-	1262.29	-	-	--

टिप्पणी : सभी अनुबंध बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग द्वारा बैंकिंग क्षेत्र में पिछले एक दशक में हुई धोखाधड़ी के बारे में किए गए विस्तृत अध्ययन पर आधारित हैं जिनमें समस्त बैंकों को मिलाकर प्रत्येक धोखाधड़ी में 50 करोड़ रुपए ये अधिक की राशि शामिल है। समस्त वाणिज्य बैंकों में (30 सितंबर 2013 को बैंकों की बहियों में बकायाराशि) कुल ऐसी धोखाधड़ी की संख्या 68 थी जो 230 खातों में हुई थी।